



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1898]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2012/भाद्र 30, 1934

No. 1898]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2012/BHADRA 30, 1934

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2012

विषय:—बैंकवेट हॉल की अनुमति विनियम, 2010

का.आ. 2272(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 57 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से एतद्वारा "बैंकवेट हॉल की अनुमति विनियम, 2010" बनाता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ
 - i) इन विनियमों को "बैंकवेट हॉल की अनुमति विनियम, 2010" कहा जाएगा।
 - ii) ये विनियम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित बैंकवेट हॉल पर लागू होंगे और अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।
 - iii) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जिनको परिभाषित नहीं किया गया है, उनका अभिप्राय वहीं होगा जो दिल्ली विकास अधिनियम-1957 अथवा उक्त अधिनियम के अंतर्गत तैयार एवं अनुमोदित मुख्य योजना या दिल्ली नगर निगम अधिनियम-1957 जैसा भी मामला हो, में हैं।
 - iv) इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है, तो उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा जिस पर केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक विषय अथवा संदर्भ में कुछ प्रतिकूल न हो:

- (i) 'अधिनियम' से अभिप्राय समय-समय पर संशोधित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 से है ।
- (ii) 'प्राधिकरण' से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है ।
- (iii) 'अध्यक्ष' से अभिप्राय प्राधिकरण के अध्यक्ष से है ।
- (iv) 'प्रभारों' से अभिप्राय बैंक्वेट हॉल हेतु भूमि एवं भवन के उपयोग की अनुमति के लिए देय प्रभारों से है ।
- (v) 'मुख्य योजना' से अभिप्राय अधिनियम के अंतर्गत तैयार एवं अनुमोदित दिल्ली मुख्य योजना से है, जो इस समय लागू है ।
- (vi) 'स्वामी' से अभिप्राय परिसरों के स्वामी/आबंटिती से है ।
- (vii) 'उपाध्यक्ष' से अभिप्राय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से है ।
- (viii) 'बैंक्वेट हॉल' से अभिप्राय ऐसे परिसर से है, जहाँ छोटे स्तर पर सभा, सामुदायिक उत्सव, विवाह इत्यादि का आयोजन किया जाता है

अन्य परिभाषाएँ संबद्ध अधिनियमों, दिल्ली मुख्य योजना, एकीकृत भवन उप विधियों आदि के अनुसार होंगी ।

3. बैंक्वेट हॉल के संचालन हेतु शर्तें

- i) दिल्ली मुख्य योजना 2021 के पैरा 5.1 के अनुसार बैंक्वेट हॉल की अनुमति औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में दी जाएगी, जिनमें मिश्रित उपयोग विनियम एवं 1962 से पूर्व दिल्ली मुख्य योजना-1962 के व्यावसायिक क्षेत्रों के अंतर्गत अधिसूचित व्यावसायिक स्ट्रीट शामिल हैं । ग्राउंड कवरेज, तल क्षेत्रफल, अनुपात (एफ. ए. आर), ऊँचाई और तहखाने (बेसमेंट) से संबंधित विकास नियंत्रण मानदंड मुख्य योजना-2021 और उस परिसर के विशिष्ट भूमि उपयोग मानदंडों के अनुसार होंगे ।
- ii) इसके अतिरिक्त, बैंक्वेट हॉल के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा :-

- क) प्लॉट का न्यूनतम आकार-300 वर्ग मीटर । आगंतुकों की अधिकतम संख्या स्थान की अवस्थिति अर्थात् सड़क की चौड़ाई, पार्किंग आदि के आधार पर लाइसेंसदाता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी ।
- ख) बैंक्वेट हॉल के रूप में उपयोग किए जाने वाले औद्योगिक प्लॉटों के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर मार्गाधिकार होगी ।
- ग) अधिसूचित व्यावसायिक स्ट्रीट में बैंक्वेट हॉल की अनुमति दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पैरा 15.12 मिश्रित उपयोग विनियम के अनुसार अन्य शर्तों सहित एफ एवं जी श्रेणी की कालोनियों में न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार वाली स्ट्रीट पर और अन्य श्रेणी की कालोनियों के लिए न्यूनतम 13.5 मीटर वाली स्ट्रीट पर दी जाएगी (दि.मु.यो.-2012 के पैरा 15.12 का अवलोकन करे।)

- घ) निर्धारित व्यावसायिक केन्द्रों में स्थित व्यावसायिक प्लॉटों के मामले में बैंकवेट हॉल की अनुमति तभी दी जाएगी यदि यह 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधे रूप से जुड़ा हुआ हो ।
- ड.) स्ट्रीट अथवा सार्वजनिक भूमि पर बैंकवेट संबंधी कार्यकलापों अर्थात् शामियाना, जेनरेटर आदि के कारण किसी प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- च) बैंकवेट हॉल प्लाटों में आगे के सैट बैक में चारदीवारी नहीं होगी, ताकि इसका प्रयोग पार्किंग उद्देश्य के लिए किया जा सके ।
- छ) यह अनुमति दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निर्धारित 'अन्य निबंधन एवं शर्तों' और संबद्ध संविधि/अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किन्हीं अन्य विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी ।
- ज) तहखाने (बेसमेंट) का निर्माण और उसका उपयोग दिल्ली मुख्य योजना-2021 भवन उप विधि के प्रावधानों के अनुरूप होगा । (दि.मु.यो.-2021 के पैरा 8(5) का अवलोकन करें और मिश्रित उपयोग के मामले में दि.मु.यो. के पैरा 15.12.3 का अवलोकन करें ।)
- झ) स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सफाई संबंधी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और बैंकवेट हॉल परिसर में जमा हुए कूड़ा-करकट के उचित निपटान की व्यवस्था करेगा, ताकि पड़ोसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा या कष्ट न हो ।
- ञ) स्वामी को भवन उप विधि और दिल्ली विकास प्राधिकरण नागरिक एजेंसियों तथा रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संबद्ध सुविधाओं की व्यवस्था और रख-रखाव को सुनिश्चित करना होगा ।
- ट) ढांचागत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सभी उपायों की जिम्मेदारी स्वामी की होगी ।
- ठ) समारोह के दौरान पार्किंग की व्यवस्था के लिए डी.सी.पी. (लाइसेंसिंग) से लाइसेंस प्राप्त करने और यातायात पुलिस से अनापत्ति प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वामी की होगी ।
- ड) यदि आवेदक बैंकवेट हॉल के लिए विद्यमान औद्योगिक भवन में परिवर्द्धन/परिवर्तन करता है अथवा भवन का पुनर्निर्माण करता है, तो भवन उप विधि के अनुसार अनुमोदित भवन नक्शों की आवश्यकता होगी । ऐसे मामलों में दि.मु.यो.-2021 के अनुसार बैंकवेट हॉल उपयोग परिसरों के लिए पार्किंग के मानदंड लागू होंगे । (दि.मु.यो.-2021 की तालिका 13.17(ख) का अवलोकन करें ।)
- ढ) व्यावसायिक स्ट्रीट पर नये बैंकवेट हॉल की अनुमति के मामले में आवेदक को संबंधित सिटीजन ग्रुप (पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन) की सहमति प्राप्त करनी होगी ।
- ण) बैंकवेट हॉल के लिए अनुमति केवल तभी प्रदान की जाएगी, जब लागू भवन उप विधि के अनुसार पुरुष एवं महिला दोनों के लिए शौचालयों की पर्याप्त संख्या की व्यवस्था कर दी गई हो । विद्यमान भवनों में अनुमति हेतु आवेदन करने से पहले स्वामी इन शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन/परिवर्द्धन करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

4. सक्षम प्राधिकारी

उपाध्यक्ष अथवा इस संबंध में उपाध्यक्ष द्वारा यथा नामित कोई अन्य अधिकारी/समिति प्राधिकरण के अधिसूचित विकास क्षेत्रों में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। अन्य स्थानीय निकायों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी वह होगा जो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किया जाए।

5. आवेदन

अनुमति हेतु आवेदन प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित रूप में, नामित किए गए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ यथा निर्धारित अवस्थिति नक्शा और ऐसे अन्य दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे (दि.न.नि.द्वारा अलग से तैयार किया गया सारांश देखें)।

6 पंजीकरण और प्रभारों का भुगतान

- i) उन परिसरों के संबंध में, जहाँ पर दि.मु.यो.-2021 के खंड 5.1 के अंतर्गत किसी बैंक्वेट हॉल की अनुमति औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में संचालित करने के लिए दी जाती है, वहाँ पर मालिक/स्वामी द्वारा इस उद्देश्य हेतु यथा निर्धारित रूप में ऐसे उपयोग को संबंधित स्थानीय निकाय को घोषित करना आवश्यक होगा और वह केन्द्र सरकार के अनुमोदन से यथा अधिसूचित दरों पर पंजीकरण प्रभारों का एक मुश्त भुगतान करेगा।
- ii) अधिसूचित व्यावसायिक स्ट्रीट पर बैंक्वेट हॉल का नियंत्रण अधिसूचना का.आ. 2034 (ई) दिनांक 12.08.2008 के तहत उप पैरा 15.12.3 की शर्त (iv) के अनुसार किया जाएगा (राजपत्र की अधिसूचना का.आ.2034 (ई) दिनांक 12.8.2008 के तहत उप-पैरा 15.12.3 की शर्त (iv) का अवलोकन करें)।
- iii) बैंक्वेट हॉल के परिसर का उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित चालू दरों पर परिवर्तन प्रभार और पार्किंग प्रभारों सहित आवश्यक शुल्क का भुगतान करने की शर्त पर दी जाएगी (दि.मु.यो.-2021 की अधिसूचना से पूर्व विद्यमान भवन के मामले में)।

7. अनुमति को अस्वीकृत/वापस करने की शर्त

इन विनियमों के अंतर्गत प्रदान की गई अनुमति अथवा पंजीकरण, जिन शर्तों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई थी/पंजीकरण प्रदान किया गया था, उनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण अथवा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा रद्द अथवा निलंबित की जा सकती है/किया जा सकता है।

8. दंडात्मक कार्रवाई (पैनल ऐक्शन)

(i) उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में संबंधित स्थानीय निकाय/डीडीए अधिनियम के संबंधित प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, यदि आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की सूचना दी जाती है अथवा वह स्थानीय निकाय/डीडीए के ध्यान में आता है और संबंधित स्थानीय निकाय/डीडीए द्वारा सत्यापन करने पर सही पाया जाता है, तो संबंधित स्थानीय निकाय/डीडीए द्वारा इस तरह की शिकायतें प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर इन परिसरों को सील कर दिया जाएगा। इन परिसरों को उपर्युक्त उल्लंघन में सुधार के बाद ही सील हटाने/इनमें कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) संबंधित अधिनियम के अंतर्गत अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त, इस अधिसूचना की शर्तों के उल्लंघन में अथवा बिना पंजीकरण के मिश्रित उपयोग के अंतर्गत पायी जाने वाली संपत्तियों को मिश्रित उपयोग के कारण वार्षिक परिवर्तन प्रभार की 10 गुणा राशि जुर्माने के रूप में स्थानीय निकाय को अदा करनी होगी।

(9) अन्य शर्तें

(i) इन विनियमों को दि.मु.यो. 2021 एवं भवन उप-नियमों के साथ पढ़ा जाए और विवाद के मामले में, दि.मु.यो.-2021 के प्रावधान मान्य होंगे।

(ii) संबंधित स्थानीय निकाय अनुमोदित विनियम के अनुसार आवेदन पत्र का अपेक्षित प्रारूप, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची, शुल्क/प्रभार, आवेदन प्रक्रिया में पालन किए जाने वाले चरण एवं प्रक्रिया, अन्य विभागों इत्यादि की भूमिका के बारे में बताते हुए "रेडी रेकनर" के रूप में एक सरल उपयोगकर्ता-अनुकूल मानक प्रचालन प्रक्रिया प्रकाशित करेगा। स्थानीय निकाय लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिक से अधिक सरल बनाएगा।

[फा. सं. एफ.3(39)2008/एम पी]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

3607 GI/12-2

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st September, 2012

Subject : The (Permission of Banquet Halls) Regulations, 2010

S.O. 2272(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 57 of the Delhi Development Act, 1957, the Delhi Development Authority, with the previous approval of Central Government, hereby makes the (Permission of Banquet Halls) Regulations, 2010.

1. Short Title and Commencement

- (i) These Regulations shall be called The (Permission of Banquet Halls) Regulations, 2010.
- (ii) These Regulations shall be applicable to Banquet Halls in National Capital Territory of Delhi, and shall come into force with effect from the date of notification.
- (iii) All words and expressions used in these Regulations but not defined shall have the meaning assigned to them in the Delhi Development Act, 1957 or the Master Plan prepared and approved under the said Act or the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as the case may be.
- (iv) If any question arises relating to the interpretation of these Regulations, it shall be referred to the Central Government whose decision thereon shall be final.

2. Definitions

In these Regulations, unless, anything repugnant in the subject or context :

- (i) 'Act' means the Delhi Development Act, 1957 as amended from time to time,
- (ii) 'Authority' means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.
- (iii) 'Chairman' means the Chairman of the Authority,
- (iv) 'Charges' means the charges payable for permitting the user of land and building for Banquet Hall.
- (v) 'Master Plan' means the Master Plan for Delhi for the time being in force as prepared and approved under the Act.
- (vi) 'Owner' means the owner/allottee/ of the premises.
- (vii) 'Vice-Chairman' means, the Vice-Chairman of the Authority.
- (viii) 'Banquet Hall' means the premise to hold small public gatherings, community functions, marriages etc.

Other definitions shall be in accordance with the relevant Acts, Delhi Master Plan, Unified Building Bye-Laws, etc.

3. Conditions for Operation of Banquet Hall

- (i) Banquet Hall shall be permissible in industrial and commercial areas including notified commercial streets under Mixed Use Regulations and pre 1962/MPD 1962 commercial areas as per para 5.1 of MPD, 2011. Development control norms in respect of ground coverage, FAR, height and basement shall be as per Master Plan, 2021 norms corresponding to the specified land use for that premise. 2021
- (ii) In addition a Banquet Hall shall comply with the following conditions :
 - (a) Minimum Plot Size-300 sq.m. The maximum number of guests be fixed by Licensing Authority depending on locational considerations e.g. road width, parking etc.
 - (b) For Industrial plots to be used as Banquet Hall, the minimum road width shall be 12m ROW.
 - (c) In notified Commercial streets the Banquet Hall shall be allowed on minimum 9 mtrs. ROW in F and G category Colonies and minimum 13.5 mtrs. for other category of colonies with other conditions as per para 15.12 of MPD-2021 Mixed Use Regulations. (Refer para 15.12 of MPD-2021)
 - (d) In case of commercial plots in designated commercial centers, the Banquet Hall shall be allowed if it shall be directly abutting 18 mtrs. ROW.
 - (e) No encroachment of any kind shall be allowed on the streets or public land due to banqueting activities i.e. Shamiana, Generator etc.

- (f) In Banquet Hall plots, front setback shall not have boundary to facilitate it to be used for parking purpose.
- (g) The permission shall be subject to 'Other Terms & Conditions' prescribed in the MPD-2021 and any other specific Terms & Conditions as may be prescribed under relevant Statutes/Act.
- (h) The construction of basement and its use shall conform to the provisions of the MPD-2021/Building Bye-Laws. [Refer para 8(5) of MPD-2021 and in case of mixed use refer para 15.12.3 of MPD-2021]
- (i) It shall be the responsibility of the Owner to ensure adequate provision for sanitation facilities and for hygienic disposal of the waste generated in the Banquet Hall complex, so that no inconvenience or hardship is caused to the neighbourhood on any account.
- (j) The Owner shall ensure provision and maintenance of allied facilities, as per the Building Bye-Laws and the Guidelines, Rules and Regulations of the DDA, Civic Agencies and the GNCTD.
- (k) All the measures required for ensuring structural, fire safety shall be the responsibility of the Owner.
- (l) License from DCP (Licensing), provision of parking during the events and clearance from Traffic Police, shall be the responsibility of the Owner.
- (m) In the applicant makes addition/alteration to the existing industrial building or reconstructs the building for banquet hall the approved building plans as per Building Bye-Laws shall be necessary. In such cases, the norms of parking for Banquet Hall use premises as per MPD-2021 shall be applicable. [Refer table 13.17(b) of MPD-2021]
- (n) In case of permission for new banquet hall on commercial streets, the consent of the concerned Citizen Group (RWA representing the whole Area) to be obtained by the applicant.
- (o) The permission for Banquet hall shall be granted only after appropriate no. of toilets, both male and female have been provided as per the applicable Building Bye-Laws. In the existing buildings, the owner shall be responsible for making alterations/additions to ensure construction of these toilets before he applies for permission.

4. COMPETENT AUTHORITY

The Vice Chairman or any other officer/Committee as nominated by the Vice Chairman in this regard shall be Competent Authority for grant of permission in notified development areas of the Authority. In case of other local bodies, Competent Authority, would be as notified by the concerned local body.

5. APPLICATION

Application for the permission shall be submitted to the designated Competent Authority in such form as may be prescribed by the Authority, along with the location plan and such other documents as may be prescribed. [Refer compendium separately prepared by MCD]

6. REGISTRATION AND PAYMENT OF CHARGES

- (i) In respect of premises where a Banquet Hall is permitted to be operated under Clause 5.1 of MPD-2021 in Industrial and Commercial Area, the owner shall be required to declare such use by submitting such form as may be prescribed for this purpose with the local body concerned and shall pay one time registration charges at the rates to be notified with the approval of the Central Government.
- (ii) The Banquet Hall on notified commercial street shall be governed as per condition (iv) to sub-para 15.12.3 vide notification S.O. 2034(E) dated 12-8-2008. [Refer condition (iv) to sub-para 15.12.3 vide Gazette notification S.O. 2034(E) dated 12-8-2008]
- (iii) Permission for using the premises for Banquet Hall shall be subject to the payment of necessary fee along with the conversion charges and deficient parking charges (in case of existing building prior to notification of MPD-2021) on the prevailing rates as approved by the Government from time to time.

7. CONDITION FOR DENIAL/WITHDRAWAL OF PERMISSION

Permission of registration granted under these Regulations can be cancelled or suspended by the Authority or the concerned local body in case of violation of any of the conditions under which such permissions/registration was granted.

8. PENAL ACTION

- (i) In case of violation of the above said provisions, action shall be taken under the relevant provisions of the Act of concerned local body/DDA. If the violation of any of the provisions is reported by RWA or noticed by the local body/DDA and found correct on verification by the concerned local body/DDA, then the premises shall be sealed by the concerned local body/DDA within 15 days of the receipt of such complaints. The

premises may be desealed/permited to function only after the said violation(s) is(are) rectified.

- (ii) In addition to other penal actions available under the relevant Act, properties found to be under mixed use, without registration or in violation of the terms of this notification shall be liable to pay to the local body, a penalty amounting to 10 times the annual conversion charges for mixed use.

9. OTHER CONDITIONS

- (i) These Regulations are to be read in concurrence with the MPD-2021 and Building Bye-Laws and in case of conflict the provisions of MPD-2021 shall prevail.
- (ii) The concerned Local Body shall publish a simplified user friendly Standard Operating Procedure in the form of a “Ready-reckoner” explaining the requisite format of application, list of documents to be submitted, fee/charges, steps and procedure to be followed in processing the application, role of other departments etc. as per the approved Regulation. The local body to consider simplifying the procedure in grant of license to the extent possible.

[No. F. 3(39)2008/MP]

D. SARKAR, Commr.-cum-Secy.